

बराबर कला एवं सांस्कृतिक विकास परिषद्, जहानाबाद।
(आम सूचना)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बराबर कला एवं सांस्कृतिक विकास परिषद् जहानाबाद द्वारा मखदुमपुर अंचल अन्तर्गत बराबर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर के समीप वा जमीन, बस स्टैंड, सुदामा मार्केट एवं निर्मित पॉच दूकानों की वर्ष-2019-20 के लिए अस्थायी बन्दोवस्ती ड के आधार पर निम्नांकित शर्तों के अधीन की जाएगी।

प्रथम		द्वितीय (प्रथम निविदा रद्द होने की स्थिति में)		तृतीय (तृतीय निविदा रद्द होने की स्थिति में)	
निविदा आमंत्रण की तिथि (01.00 बजे अप0)	निस्तारण की तिथि (04.00 बजे सायं)	निविदा आमंत्रण की तिथि (01.00 बजे अप0)	निस्तारण की तिथि (04.00 बजे सायं)	निविदा आमंत्रण की तिथि (01.00 बजे अप0)	निस्तारण की तिथि (04.00 बजे सायं)
25.05.19	25.5.19	31.5.19	31.05.19	4.06.19	4.06.19

1. बन्दोवस्ती में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति विहित प्रपत्र का आवेदन पत्र जिला योजना कार्यालय प्राप्त कर दिनांक ~~25.05.19~~ को 01:00 बजे अपराह्न तक जमा करना होगा। विहित प्रपत्र आवेदन पत्र जिला योजना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
2. बन्दोवस्ती में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को सुरक्षित जमा राशि मो0-9951812/- (निनान्वे ल इकावन हजार आठ सौ बारह) रू0 का दस प्रतिशत राशि अर्थात मो0-995181/- (नौ ल पंचानवे हजार एक सौ एकासी) रू0 मात्र निविदा निस्तारण की निर्धारित तिथि एवं समय से जिला योजना कार्यालय में जमा करना होगा।
3. सफल डॉक वक्ता द्वारा जमा की गयी सुरक्षित जमा राशि का समायोजन बन्दोवस्ती की राशि एक मुश्त कर ली जाएगी तथा शेष व्यक्तियों को सुरक्षित जमा की राशि वापस कर दी जाएगी।
4. बराबर पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित सिद्धनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र बस स्टैंड, गाय घाट सिद्धनाथ विश्राम गृह के समीप वाली जमीन तथा सुदामा मार्केट की अस्थायी-बन्दोवस्ती न्यूनतम डॉक की बोली मो0-9951812/- (निनान्वे लाख इकावन हजार आठ सौ बारह) रू0 प्रारंभ होगी।
5. बन्दोवस्ती हेतु डॉक की कार्रवाई का स्थान समाहरणालय, जहानाबाद स्थित जिला पदाधिकारी कार्यालय कक्ष होगी।
6. विभागीय नियमानुसार बन्दोवस्ती लेने वाले व्यक्ति को बन्दोवस्ती की राशि का 5%+5% कुल 10 राशि क्रमशः निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में अलग से देना अनिवार्य होगा।
7. बन्दोवस्ती में सफल होने वाले व्यक्ति को बन्दोवस्ती की राशि एक मुश्त तुरन्त जमा करनी होगी डाक में सफल होने वाले व्यक्ति द्वारा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में सुरक्षित जमा की रा जप्त कर ली जाएगी तथा द्वितीय डाक वक्ता के साथ बन्दोवस्त करने पर परिषद् द्वारा वि किया जा सकता है। बन्दोवस्त लेने वाले व्यक्ति को उसी दिन जमा करना अनिवार्य होगा।
8. बन्दोवस्तदार बराबर स्थित उपर्युक्त वर्णित स्थानों पर दूकान हेतु एक से अधिक व्यक्तियों किराये के आधार पर दिनांक-~~31.05.20~~ तक ही स्थान दे सकेंगे।
9. बराबर क्षेत्र में ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं किया जाएगा जो सरकार द्वारा वर्जित घोषित किया ग है अथवा जिसके लिए विधिवत् नियमानुसार सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई हो।
10. बराबर पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य करना वर्जित है जिसमें वहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य उपल संस्थानों, सरकारी एवं ऐतिहासिक धरोहरों को क्षति पहुँचाती हों।
11. बन्दोवस्ती लेनेवाले व्यक्ति यह सुनिश्चित करेंगे कि बराबर क्षेत्र में जानेवाली देशी एवं विदे पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा उनके साथ कोई अप्रिय घटना न हों। बन्दोवस् लेनेवाले व्यक्ति को बराबर क्षेत्र में आनेवाली श्रद्धालु एवं पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार रख होगा।

